कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा

Email Id - atma.lohardaga@rediffmail.com

पत्रांक 188 लो०/दिनांक 13/8/2020

प्रेषक,

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।

सेवा में,

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी,
लोहरदगा।

विषयः— वित्तीय वर्ष 2020—21 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत लोहरदगा जिले के इच्छुक कृषकों को अनुदान पर विभिन्न कृषि उपकरण/उपादान उपलब्ध कराने हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत लोहरदगा जिला में दलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएं टाना भगतों, प्रवासी मजदूरों एवं अन्य किसानों को उपलब्ध करायी जा रही है। इस क्रम में वर्ष 2020—21 में लोहरदगा जिला अंतर्गत इच्छुक कृषकों को अनुदान पर विभिन्न कृषि उपकरण/उपादान उपलब्ध कराया जायेगा। इस निमित आवेदन आमंत्रण की सूचना का प्रारूप प्रकाशन हेतु संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाए। ताकि लोहरदगा जिले के किसानों को स—समय इसका लाभ मिल सके।

अनुलग्नकः— सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी।

विभाग का नाम — कृषि
पदाधिकारी का नाम — श्री शिव कुमार राम, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा।
मोबाईल सं0 — 99391—56590
संदेशवाहक का नाम — श्री मनोरंजन साहु, आदेशपाल, आत्मा, लोहरदगा।
Email ID – atma.lohardaga@rediffmail.com

11/8/20
तकनीकी सहायक
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
लोहरदगा

विश्वासभाजन,
13.08.2020
जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा।

आवेदन आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत लोहरदगा जिला में दलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएं टाना भगतों, प्रवासी मजदूरों एवं अन्य किसानों को उपलब्ध करायी जा रही है। इस क्रम में वर्ष 2020–21 में लोहरदगा जिला अंतर्गत इच्छुक कृषकों को अनुदान पर विभिन्न कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त के आलोक में नीचे वर्णित कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छुक कृषकों से अनुदान पर नीचे वर्णित कृषि यंत्र हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्र0	यंत्र एव उपादान का नाम	अनुदान की राशि (रू0 प्रति यूनिट)	उपलब्धता (यूनिट) में
1	नेपसेक स्प्रेयर (for SC/ST, small & marginal, women farmers & NE states)	750रू प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	40
2	नेपसेक स्प्रेयर (for other farmers)	600रू प्रति यूनिट या 40 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	60
3	पावर नेकसेक स्प्रेयर (for SC/ST, small & marginal, women farmers & NE states) (8-12Litres)	3100रू प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	07
4	पावर नेकसेक स्प्रेयर (for other farmers)(8-12Litres)	2500रू प्रति यूनिट या 40 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	10
5	रोटावेटर (for SC/ST, small & marginal, women farmers & NE states) (टैक्टर डाइविंन 35BHP से अधिक)–5फीट	42000रू प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	01
6	रोटावेटर (for other farmers)(टैक्टर डाइविंन 35BHP से अधिक)–5फीट	34000रू प्रति यूनिट या 40 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	01
7	मल्टी क्रॉप थ्रेसर (for SC/ST, small & marginal, women farmers & NE states) (टैक्टर डाइविंन 35BHP से अधिक)–4टन प्रति हे0 की कैपीसीटी	100000रू प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	01
8	मल्टी क्रॉप थ्रेसर (for other farmers)(टैक्टर डाइविंन 35BHP से अधिक)–4टन प्रति हे0 की कैपीसीटी	80000रू प्रति यूनिट या 40 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	01
9	स्प्रीकंलर सेट	21901रू प्रति हेक्टेयर या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मागदर्शिका के अनुसार	01
10	पंप सेट	10000रू प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	80
11	पाईप (पानी स्त्रोतों से खेत तक ले जाने हेतु)	कार्यालय द्वारा सूचना प्राप्त किया जा सकेगा	250 फीट
12	मोबाईल रेन गन	34513रू प्रति हेक्टेयर या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मागदर्शिका के अनुसार	01
13	थ्रेसिंग फ्लोर (30X30)	57500रू प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	02
14	मिनी दाल मिल	95000रू प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	01
खेत एवं मृदा प्रबंधन हेतु			
1	माइक्रो न्यूट्रेन्ट	500रू प्रति हेक्टेयर या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	230
2	जिप्सम/80% WG सल्फर	750रू प्रति हेक्टेयर या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	200
3	लाईम	1000रू प्रति हेक्टेयर या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	200
4	बायो फर्ट्रीलाईजर	300रू प्रति हेक्टेयर या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	100
खरपतवार प्रबंधन			
1	प्लाट प्रोटेक्टशन रसायन	500रू प्रति हेक्टेयर या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	450
2	खरपतवार नाशी दवा	500रू प्रति हेक्टेयर या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा।	300

आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- आवेदक का आधार कार्ड का प्रति।
- जमीन का अद्यतन रसीद।
- आवेदक का दो पासपोर्ट साईज फोटो
- मुखिया से प्रमाणित वंशावली।
- पास बुक का फोटो कॉपी।
- विगत 5 वर्षो में किसी भी विभाग/ऐजेंसी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान से कृषि यांत्रिकरण योजना का लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र।

नोट :–

1. आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2020 से 31.08.2020 तक आत्मा कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है साथ ही आत्मा बेबसाइड ***www.atmalohardaga.co.in*** से आवेदन पत्र ***download*** किया जा सकता है तथा भरा हुआ पूर्ण आवेदन दिनांक 05.09.2020 से 15.09.2020 तक कार्य दिवस (पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 5.00 बजे तक) में आत्मा कार्यालय, लोहरदगा में जमा किया जा सकता है। **यह योजना में लाभ पाने हेतु पहले आओ पहले पायो की पद्धति लागू रहेगा।**
2. किसी भी यंत्र का क्रय लाभुकों द्वारा 100 राशि भुगतान कर के ही किया जाएगा तथा प्राप्ति रसीद एवं फोटो जमा करने एवं स्थल निरीक्षण के उपरांत अनुदान की राशि लाभुक के खाते में हस्तांरित की जाएगी।
3. पूर्व के 5 वर्षो में किसी भी विभाग जैसे–भूमि संरक्षण, **ITDA, JSLPS** आदि के यांत्रिकरण योजना के द्वारा लाभ न लिया हो शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
4. एक परिवार मे केवल एक ही सदस्य को यांत्रिकरण योजना का लाभ मिलेगा, यदि परिवार में बटवारा हो गया हो तो उसको मुखिया के द्वारा सत्यापन करा के प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक के हिस्से में कितना जमीन पड़ता है स्पष्ट रूप से मुखिया से सत्यापित वंशावली के साथ जमीन की रसीद आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

11.08.2020

जिला कृषि पदाधिकारी,
11/8/20 लोहरदगा।